

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 10B/2016-17

चिन्ता नायक बनाम गुरा नायक


:: आदेश ::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
--------	---------------------------------	-----------

23.6.2018

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता चिन्ता नायक पिता स्व० लोरहा नायक, ग्राम-मुड़िया, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला- खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता गुरा नायक पिता लोक्षो नायक, ग्राम-बीरबांस, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।


अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।



भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।

क्र.सं.	नाम	पता	सं.सं.	सं.सं.
1	गुरा नायक	...	453	30
2	लोक्षो नायक	...	343	515

न्यायालय के आदेश को अंतिम मानना है। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश के अंतर्गत कोई भी कार्य करना चाहता है तो उसे अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए।


23/06/18
भूमि सुधार उप समाहर्ता
सरायकेला।